


बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

राज्यता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र

निम्नलिखित/स्वाध्यायी बर २००

प्रति,

कुलसचिव,
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,
भोपाल (म. प्र.)



महोदय,

मैं बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश लेना चाहता/चाहती हूँ । निम्नलिखित/स्वाध्यायी छात्र/छात्रा के रूप में परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता/चाहती हूँ । इस हेतु वांछित शुल्क रुपये रकम/कलान/ड्राफ्ट क्रमांक दिनांक द्वारा जमा किया है ।

अतः मुझे राज्यता प्रमाण पत्र प्रदान करने का कष्ट करें । मेरे बारे में वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

- १- आवेदक का पूरा नाम [श्री/श्रीमती/कु०]
- २- पिता/पति का नाम श्री
- ३- माता का नाम श्रीमती
- ४- जन्म तिथि [प्रमाण पत्र हेतु अंक सूची की प्रति संलग्न]
- ५- जाति [सामान्य/अनुसूचित जाति/अनु० जपजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग]
- ६- आवेदक का स्थाई पता
- टेलीफोन क्रमांक
- ७- आवेदक का स्थाई पत्राचार का पता
- टेलीफोन क्रमांक
- ८- उत्तीर्ण अर्हतावाची परीक्षा जिसके आधार पर प्रवेश चाहा है / परीक्षा में सम्मिलित हो रहे है का विवरण निम्नानुसार है :-

उत्तीर्ण अर्हतावाची परीक्षा का नाम [अंकसूची की प्रमाणित फोटो प्रति संलग्न करें]	वि०वि०/बोर्ड का नाम	पूर्णांक प्राप्तांक	श्रेणी / प्रतिशत

- ९- इस विश्वविद्यालय की किस कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं
[विषय/विषयों का उल्लेख करें]
- १०- परीक्षा में निम्नलिखित/स्वाध्यायी छात्र के रूप में सम्मिलित हो रहे है ?
- [यदि हां तो सहायिका का नाम एवं प्रवेश शुल्क की रकम की प्रति संलग्न करें]

दिनांक

दिनांक

[आवेदक के हस्ताक्षर]

निम्नलिखित छात्र हेतु प्राचार्य का अग्रोधरण

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु० आत्मज श्री

छात्र/छात्रा ने (कक्षा का नाम) में दिनांक को प्रवेश लिया है ।

जो निम्नानुसार सही है । तथा छात्र/छात्रा द्वारा प्रस्तुत सभी प्रमाण पत्रों का परीक्षण कर लिया गया है तथा सही पाया गया है ।

प्राचार्य

[महाविद्यालय की सील]

- नोट :- [१] यदि नियमित शिक्षार्थी है तो प्राचार्य से अनुरोध करायें । यह अभ्यर्थण प्रपत्र की अंतिम तिथि के ३० दिनों के अन्दर वि०बि० में आवेदन जमा हो जाना चाहिए ।
- [२] चूंकि सभी महाविद्यालयों को निश्चिन्ता उपलब्ध कराई गई है । अतः महाविद्यालय अभ्यर्थण से पूर्व यह अच्छी तरह परीक्षण कर लें कि प्रथम दृष्टा छात्र पात्र है ।
- [३] सूची फोटो प्रतियां तथा स्वयंस्वीकारिक होना आवश्यक है ।

- टीका :- [१] जिन विद्यार्थियों ने हायर सेंकण्डरी/इंटरमिडिएट परीक्षा या अन्य परीक्षा जो इंडरग्रेजुएट परीक्षा के समतुल्य है माध्यमिक शिक्षा मण्डल म०प्र० अधीन से उत्तीर्ण की हो तो पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।
- [२] ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने म०प्र० के किसी विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर/डिग्री की कोई परीक्षा आंशिक रूप से उत्तीर्ण की हो तो पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है ।

पात्रता प्रमाण पत्र के लिये आवेदक को निम्नलिखित सूचना का पालन करना अनिवार्य है :-

- [१] आवेदन पत्र के साथ लगने वाली अंक सूची/प्रमाण पत्र व अन्य चिह्नों की फोटो प्रति जो स्वयं प्रामाणिक हो के साथ (ORIGINAL) मूल पत्रक जांच हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य है । बिना मूल प्रतियों के आवेदन पर विचार करना संभव नहीं होगा ।
- [२] सामान्यतः पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन करने के पांच दिनों में प्राप्त होना चाहिए । शेष कारणों में जिसमें संज्ञायाध्यक्ष / अध्यक्ष अध्यक्ष परिषद की राय लेना जरूरी है, आवेदन के १५ दिनों के बाद ही पात्रता पत्र प्राप्त होगा ।
- [३] सामान्यतः पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थी/छात्र को स्वयं उपस्थित होना होगा अन्य किसी भी व्यक्ति को विशेष परिस्थिति को छोड़कर पात्रता प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा । साथ ही छात्र का अनुज्ञा प्रमाण पत्र या कक्षा की गई राशि की छात्र प्रति जो छात्र के पास है को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
- [४] अपूर्ण/अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं होगी एवं निरस्त किये गये आवेदन पत्रों की शुल्क वापस नहीं की जायेगी ।
- [५] पात्रता हेतु आवेदन विश्वविद्यालय में [पूछताछ कक्ष] पर ही प्राप्त किये जायेंगे ।